रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 566] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 23, 1993/आश्विन 1, 1915

No. 566] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 23, 1993/ASVINA 1, 1915

सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान समाहर्ता का कार्यालय

अधिसूचना

मद्रास, 2 अगस्त, 1993

[सं. 29/93 सी. शु. (एन. टी.) एम.जेड.ओ.]

का०आ० 713(अ) :—एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 18-06-1990 की अधिसूचना सं० 34/90 सी.शु. (एन.टी.) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 9 के अधीन जारी किए गए और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित केरल राज्य के कन्नानूर जिले के मुलती पंचायत के पोडिक्कुन्नु गांव को शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम स्थापित करने के लिए भाण्डागार केन्द्र घोषित किया जाता है।

[सी०सं० VIII/48/61/93–एम.जेड.ओ.]
जे. रामकृष्णन्, प्रधान समाहर्ता

OFFICE OF THE PRINCIPAL COLLECTOR OF CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE

NOTIFICATION

Madras, the 2nd August, 1993

[No. 29/93-Cus. (NT) MZO]

S. O. 713(E).—In exercise of the powers conferred by Notification No. 34/90-Cus (NT), dated 18-6-1990 of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi 'PODIKKUNDU' Village, Puzhathi Panchayat, Cannanore District in the state of Kerala, is hereby declared to be a warehousing station under section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) for the purpose of setting up of 100% Export Oriented Units, approved by Government of India, Ministry of Industry, Secretariat for Industrial Approvals, New Delhi.

[C. No. VIII/48/61/93-MZO]

J. RAMAKRISHNAN, Principal Collector

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993